

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाशा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यु0पे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(न्यु0पे0)/08 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।
उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 341 अंकों के ऊपर जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 के औसत अंक 341 अंकों पर दिनांक: 1.4.2021 से दिनांक: 30.9.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दुन्दाप की भाँति गणना करके देय होगा:-
दुन्दाप- रूपरे-6750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-341 पर दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 30-9-2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।
(341-216) X 5750-प्रतिमाह रूपरे-3328/-

216:

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत हैं:-

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपरे में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपरे में		दिनांक: 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	
			दिनांक: 01.10.2020 से 31.3.2021 तक	दिनांक: 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	मूल मजदूरी (रूपरे में)	दैनिक मजदूरी (रूपरे में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	3008	3328	9078	349
2	अधोअकुशल	8325	3309	3660	9985	384
3	कुशल	7085	3706	4100	11185	430

नियोजन के नाम:-

- स्वर की विनिर्माणशाला और स्वर उत्पादक (वायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिट्टान उद्योग।
- वाशित पेयों (एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- मराठार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डरी और मिट्टा डरी।
- सिले सिलाये कापड़ों की विनिर्माणशाला।
- सौध लकड़बन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिलाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त राजस्विकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डॉक्टरों सामान की दुकानों।
- डलवाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट रोलिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्राण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- घरों सौधनशाला और घरों के विनिर्माण शाला।
- घरों वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- तन्हाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- वातकी (फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संकलन और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकानों में।
- वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- ग्रावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेल मिल।
- लोक मोटर परिवहन।
- घोषिक परिवहन कर्मशाला।
- आटोमोबाइल रिपेयर कर्मशाला।
- सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
- पत्थर तोड़ने या पत्थर कुटने।
- चिकन के कारखाने।
- दियासलाई उद्योग।
- आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
- बेकरी और बिरकुट विनिर्माणशाला।
- बाई विनिर्माणशाला।

40. एन्वैस्टर्स सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माणशाखा।
41. लाकड़ी और भुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाली।
43. कोलड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिक्स वा रिफ़ैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छापाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी कर्मसी।
50. कलब।
51. हथकरघा(सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का दूध या प्रसालक विनिर्माण।
53. कनी कमबल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डरशरी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. हाथि चालित करघा उद्योग।
57. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एचम कॉप उतपादों के निर्माण।
58. कपड़ा, गल्ला और पेशर बोर्ड उद्योग।
59. ईट नदला उद्योग।
60. तासा उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार रहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिरोध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कक्षाप सम्मिलित नहीं है।
64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एलसीडी वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सिज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रेवेलिंग अभिकरण में नियोजन।
68. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विद्युत संचरण(विद्युत संचरण(सेवा शरी)अधिनियम 1975 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. डेयर कटिंग सैलून एवं ग्यूटी पार्शर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेंटर/आईटीई ड्राइवरीज/टेलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 386-61 प्रजापन-(एम०डब्ल्यू०)/15

दिनांक 11/5/2021

प्रतिप्रतिवि-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराए।
2. अनुसूचित उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (विज सैल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बहु, लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त (आई० आर०), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त वहाँ ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखाध्यक्ष प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनाथ।

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।